

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-107/2017/3609/दो-2-2017-28/2(25)/2017
लखनऊ: दिनांक: 04 अक्टूबर, 2017

आदेश

श्री विद्या शंकर सिंह-1, सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 ने अपने भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-70309 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत जी0पी0एफ0 का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री विद्या शंकर सिंह-1, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-18/मिलान डायरी-224/42292/53039 दिनांक 29-08-2017 के अनुसार 2016-17 तक कुल जमा धनराशि रू0-13,62,463/- (रूपये तेरह लाख बासठ हजार चार सौ तिरसठ मात्र) जिस पर 3/2017 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-12,26,217/- (रूपये बारह लाख छब्बीस हजार दो सौ सत्रह मात्र) होती है, के भुगतान किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4ए0जी057/दस-84-510/84 दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किये जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री विद्या शंकर सिंह-1, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत भाग से अधिक नहीं है।

धनन्जय शुक्ल
संयुक्त सचिव ।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिनि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री विद्या शंकर सिंह-1, पी0सी0एस0 के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी।
- 4- श्री विद्या शंकर सिंह-1, से0नि0 पी0सी0एस0, पता-एस0एच0-15/182-ए-10-पी, हनुमन्त विहार कालोनी, वाराणसी।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 04 अक्टूबर, 2017

विषय:- श्री विद्या शंकर सिंह-1, सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री विद्या शंकर सिंह-1, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 30-09-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियाँ संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री विद्या शंकर सिंह-1 के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अतः इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त ।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री विद्या शंकर सिंह-1, से0नि0 पी0सी0एस0, पता-एस0एच0-15/182-ए-10-पी, हनुमन्त विहार कालोनी, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),
उत्तर प्रदेश शासन।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 04 अक्टूबर, 2017

विषय:- श्री विद्या शंकर सिंह-I, सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 को देय अर्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री विद्या शंकर सिंह-I, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 30-09-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री विद्या शंकर सिंह-I, से0नि0 पी0सी0एस0, पता-एस0एच0-15/182-ए-10-पी, हनुमन्त विहार कालोनी, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।